अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा (सीपीईटी 2025) के माध्यम से

पैरामेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम

में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउन्सिलिंग

शैक्षणिक सत्र 2025–26

काउन्सिलिंग दिशा निर्देश एवं सूचना बुलेटिन

संशोधित ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी *

काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का राउंड (चरण) – 1

क्र0सं0	प्रक्रिया	तिथि (दिन)	समय
1	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ	02.07.2025 (बुधवार)	
2	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	09.07.2025 (बुधवार)	रात 11:59 बजे
3	सीट आवंटन (Allocation) की घोषणा	12.07.2025 (शनिवार)	
4	सीट आवंटन (Allocation) की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग	14.07.2025 (सोमवार) से 26.07.2025 (शनिवार) तक	
5	प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि	26.07.2025 (शनिवार)	सायं 6:00 बजे

काउन्सिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया का मॉप अप राउंड (चरण)

क्र0सं0	प्रक्रिया	तिथि (दिन)	(समय)
1	मॉप अप राउंड (चरण) के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन (Display)	28.07.2025 (सोमवार)	
2	कैंडीडेट लॉगिन से चरण 1 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन (परित्याग) प्रारम्भ	28.07.2025 (सोमवार)	सायं 1:00 बजे
3	कैंडीडेट लॉगिन से चरण 1 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन (परित्याग) की अन्तिम तिथि	31.07.2025 (बृहस्पतिवार)	सायं 6:00 बजे

4	रिजिग्नेशन (परित्याग) के बाद सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन (Display) और ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ	01.08.2025 (शुक्रवार)	
5	ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं च्वाइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	05.08.2025 (मंगलवार)	रात 11:59 बजे
6	सीट आवंटन (Allocation) की घोषणा	07.08.2025 (बृहस्पतिवार)	
7	सीट आवंटन (Allocation) की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग	08.08.2025 (शुक्रवार) से 13.08.2025 (बुधवार) तक	
8	प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अन्तिम तिथि	13.08.2025 (बुधवार)	सायं 6:00 बजे

* काउन्सिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के समय सभी कॉलेज कार्यालय छुट्टियों सहित सभी दिनों में खुले रहेंगे।

शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ : 01 अगस्त, 2025

नोटः मॉप अप राउंड के बाद रिक्त सीटें होने पर काउन्सिलिंग का स्ट्रे राउंड निर्धारित किया जाएगा।

Website - www.abvmuup.edu.in

Email - cpetabvmu2025@gmail.com

Helpline Contact No: 9889383779, 9889383797 (10:00 AM-6:00 PM)

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उ0प्र0, लखनऊ **(एबीवीएमयू)** द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025—26 के लिए पैरामेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा (सीपीईटी)—2025 का आयोजन 18—06—2025 को किया है। निम्नलिखित कॉलेजों / संस्थानों में प्रवेश के लिए परिणाम 01—07—2025 को घोषित किया गया।

a) **एबीवीएमयू से सम्बद्ध समस्त सरकारी / प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए**

b) **एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ**

c) **केजीएमयू, लखनऊ**

d) **यूपीयूएमएस, सैफई**

पैरामेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड

आयुः— प्रवेश के लिए आयु 31 दिसम्बर, 2025 को या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। **एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ में** बी.एससी. पैरामेडिकल में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 31 दिसम्बर, 2025 तक 30 वर्ष है। अन्य संस्थानों में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

1. **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने 12वीं कक्षा की परीक्षा में विज्ञान विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो वे सभी स्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए पात्र होंगे**, बशर्ते कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (पीसीबी) में न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंक प्राप्त किए हों और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. **अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा में विज्ञान विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के साथ उत्तीर्ण की हो** तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित (पीसीएम) में न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंक होने चाहिए और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, **ऐसे अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित स्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं—**
   a. बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री
   b. बैचलर इन ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
3. अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा **में विज्ञान विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान / सांख्यिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / मनोविज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो** तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान / सांख्यिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / मनोविज्ञान में न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंक होने चाहिए और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, **ऐसे अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित स्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं—**
   a. बैचलर इन ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में 3 मुख्य विषयों में न्यूनतम प्राप्तांक **40 प्रतिशत** जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **45 प्रतिशत** होने चाहिए।
5. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ओपन स्कूल अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) के द्वारा विज्ञान विषयों तथा अंग्रेजी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
6. पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 10+2 में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए।
7. कलर ब्लाइंड अभ्यर्थी पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थियों ने कलर सुधारात्मक कॉन्टैक्ट लेंस अथवा चश्मा पहना हो।
8. अभ्यर्थियों का चयन मेडिकल फिटनेस के अधीन होगा। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसे सरकारी मेडिकल कालेज या जिला चिकित्साधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित न किया जाए।

सामान्य निर्देश

1. पात्र अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग एवं सीट आवंटन (Allocation) के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत (Register) करना होगा।
2. काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट www.abvmuup.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. अभ्यर्थी को अपने सीपीईटी 2025 **रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड (आवेदन फॉर्म भरने के लिए प्रयुक्त की गयी**) का उपयोग करके पोर्टल पर काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** के रूप में 500/– रुपये और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 5000/– रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जो अभ्यर्थी दोनों फीस का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें काउन्सिलिंग प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
5. काउन्सिलिंग के सभी दौर पूरे होने के बाद, प्रवेशित अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क **(Counselling Security Fee)** (5000/– रुपये) की वापसी **अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरते समय प्रदान किये गये खाता विवरण का उपयोग करके की जाएगी।**
6. सीट आवंटन (Allocation) के बाद अभ्यर्थी को **सीट आवंटन की पुष्टि (Confirmation) के लिए एबीवीएमयू, यूपी को ऑनलाइन मोड/चालान के माध्यम से 40000/– रुपये (चालीस हजार रुपये मात्र)** का भुगतान करना होगा। यह राशि आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित **(Transfer)** कर दी जाएगी तथा काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित **(Adjust)** कर दी जाएगी।
7. सीट आवंटन के बाद, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। **निर्धारित तिथि और समय के भीतर आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने में विफल रहने पर काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (5000/– रुपये) जब्त कर लिया जाएगा।** सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र और दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी ले जाना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। सभी प्रवेश प्रोविजनल हैं तथा यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
8. **कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र अवधि (Resignation window) अर्थात 28–07–2025 से 31–07–2025 को शाम 6:00 बजे तक सीट से त्यागपत्र (Resignation) नहीं देता है, तो उसकी सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee) रु0 40000/– एवं काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) रु0 5000/– जब्त कर लिया जाएगा।**
9. **मॉप अप राउंड में सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित (Alloted) कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (5000/– रुपये) और सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee) 40000/– रुपये जब्त कर लिया जाएगा।**
10. **मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य शुल्क केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही जमा किए जाने हैं। (01.08.2025)**

11. **आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन के समय, अभ्यर्थी को सभी मूल और वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।**
12. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को अनंतिम सीट आवंटन पत्र (Provisional Seat Allotment Letter) जारी किया गया है, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/जिला सीएमओ द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
13. **सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। (अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश से कक्षा 10वीं और 12वीं इंटरमीडिएट (10+2) दोनों बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो)। निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी पात्र हैं।**
14. **अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः मेरिट सूची और अभ्यर्थी द्वारा दी गई कॉलेज की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।**
15. **किसी भी कॉलेज में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि और समय का इंतजार न करें तथा अंतिम समय की असुविधा से बचने के लिए समय से सीट/कॉलेज के विकल्पों का चुनाव करें।
17. **काउन्सिलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेजों का विकल्प भरना होगा।** उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश के लिए सीट आवंटन **(Seat Allocation)** की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विकल्प भरें।
18. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामले में काउन्सिलिंग समिति, एबीवीएमयू यूपी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
19. **किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ होगा।**
20. **काउन्सिलिंग बुलेटिन में किसी भी विवाद या विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को सही माना जायेगा।**

आरक्षण नीति :–

1. राज्य सरकार के अनुसार आरक्षण नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।
2. आरक्षण नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
3. विकलांगता के लिए आरक्षण (पीडब्लूडी): **लोअर एक्सट्रीमिटी (lower extremity) में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लोको–मोटर विकलांगता** वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जायेगा और योग्यता के सम्बंध में अन्य पात्रता मानदंड अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानदण्डों के समान होंगे (भारत का राजपत्र संख्या–275 दिनाँक 05 जुलाई, 2021)।

नोट :– प्रवेश लेने वाले पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को लोअर लिम्ब (lower limb) की 40 से 50 प्रतिशत तक लोको–मोटर विकलांगता के सत्यापन के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थानों द्वारा गठित एक मेडिकल परीक्षा बोर्ड व नर्सिंग विशेषज्ञ के साथ जॉच करानी होगी।

4. केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र ही स्वीकार्य होंगे। **इन प्रमाण–पत्रों को अधिकारिक सरकारी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।**
5. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रवेश में 10 प्रतिशत का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **इन प्रमाण–पत्रों को अधिकारिक सरकारी पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।**
6. 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद जारी वैध ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
7. 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
8. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
9. सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
10. एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत बटालियन द्वारा निर्गत वैध एनसीसी **"सी" प्रमाण–पत्र ग्रेड–बी** के साथ मान्य होगा। एनसीसी 'A' एवं 'B' Certificate मान्य नहीं होगा।

नोट :–

- **सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं (10+2) दोनों बोर्ड परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो)।**
- **अल्पसंख्यक और अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदण्डों/निर्देशों के अनुसार होगा।**
- **केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे।**

चरण (राउण्ड) 1

पात्रता

परिणाम अधिसूचना में काउन्सिलिंग के लिए योग्य सूचीबद्ध (Qualified for Counselling) सभी अभ्यर्थी, जो परीक्षा सूचना बुलेटिन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे काउन्सिलिंग में भाग लेंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सीपीईटी 2025 की आधिकारिक वेबसाइट www.abvmuup.edu.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

1. पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन **(आवेदन फॉर्म भरते समय प्रयुक्त लॉगिन)** के माध्यम से काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थियों को www.abvmuup.edu.in पर अपने **सीपीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।**
2. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा सीपीईटी 2025 में भरी गई प्राथमिक जानकारी यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उप–श्रेणी और पता आदि स्वतः पहले से ही भरी रहेगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा (10+2) बोर्ड परीक्षा में **Appearing** अंकित किया था, उन्हें **12वीं कक्षा (10+2) के अंक अपडेट करने होंगे।**
4. अभ्यर्थियों को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा।
   a. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं) और
   b. 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा इंटरमीडिएट मार्कशीट/अंकों का विवरण।
5. अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य (हां/नहीं), अल्पसंख्यक स्थिति (ईसाई/जैन/मुस्लिम/लागू नहीं) विवरण अपडेट करना होगा और निम्न का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
   a. निवास स्थिति **(Domicile status)** (यदि लागू हो)
   b. अल्पसंख्यक दर्जा **(Minority status)** (यदि लागू हो)
   c. श्रेणी/उप–श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
6. यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में **लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है** तो वह उसे भी अपडेट कर सकता है।
7. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (केटेगरी) अपडेट कर सकते हैं (वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में)।
8. अभ्यर्थी को जमा करना होगा
   a. 500/– रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** और
   b. काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 5000/– रुपये

   दोनों शुल्क 5500/– रुपये (500 रुपये + 5000 रुपये) के एकल भुगतान (Single Payment) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
9. सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसे Save कर सकते हैं।

कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया

1. ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वांछित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को संपादित (एडिट) और पुनः क्रमित (Re-order) कर सकता है। **उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन में असफलता से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरें।**
2. काउन्सिलिंग पोर्टल पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार खोला जाएगा। **अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों को लॉग–आउट करने से पहले सुरक्षित (Save) कर लिया जाना चाहिए।** अभ्यर्थी अपनी सुरक्षित **(Save)** की गई प्राथमिकताओं/विकल्पों में जितनी बार चाहें उतनी बार परिवर्तन कर सकते हैं। शेड्यूल में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय पर भरे गये विकल्प स्वतः सेव और लॉक हो जाएंगे।
3. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से कॉलेज विकल्पों को लॉक होने के बाद, लॉक किये गये कॉलेज विकल्पों का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन सीपीईटी 2025 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी सीट आवंटन से संबंधित जानकारी के लिए 12–07–2025 को पोर्टल पर लॉगिन करें।
6. सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 1 में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा:

   विकल्प 1: एक्सेप्ट एलॉटेड सीट (फ्रीज)

   विकल्प 2: डिक्लाइन एलॉटेड सीट (डिक्लाइन)

महत्वपूर्ण नोटः

शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 5000/–) जब्त कर लिया जाएगा।

7. सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने **विकल्प 1** का चयन किया है, उन्हें **अनिवार्य** रूप से ऑनलाइन/चालान मोड के माध्यम से एबीवीएमयू यूपी को रू0 40,000/– (चालीस हजार रुपये मात्र) का **सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee)** जमा करना होगा। यह राशि प्रवेश के बाद आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दी जाएगी तथा काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी।
8. सीट पुष्टि शुल्क **(Seat Confirmation Fee)** जमा करने के बाद, **विकल्प 1 (फ्रीज)** का चयन करने वाले अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में **व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट** करना होगा।
9. अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय **मूल प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ** दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है।

10. कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं, तो **कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित कॉलेज पोर्टल से प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा।**

    नोटः मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र (01–08–2025) के प्रारम्भ होने के समय ही जमा किये जायेंगे।

11. निम्न **दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी** की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक हैः

    I. प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र।

    II. 5 पासपोर्ट आकार की सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो।

    III. 40,000/– रुपये की सीट कन्फरमेशन शुल्क रसीद।

    IV. फोटो पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।

    V. आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट (verification sheet)।

    VI. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2)/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/मार्कशीट/अंकों का विवरण।

    VII. जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाणपत्र। (कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)

    VIII. 12वीं कक्षा (10+2) माइग्रेशन/स्थानांतरण प्रमाणपत्र।

    IX. मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।

    X. यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य हैः

    a. केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा जारी एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र।

    b. 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र। ओबीसी श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की ओबीसी–एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) की सूची में होना चाहिए।

    c. सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र।

    d. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

    e. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रमाणपत्र।

    f. एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत बटालियन द्वारा निर्गत वैध एनसीसी **ग्रेड–बी** के साथ **'सी' प्रमाण–पत्र** मान्य होगा। **इस उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के लिए एनसीसी 'ए' एवं 'बी' प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

    g. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (ईसाई/जैन/मुस्लिम)।

12. सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 5000/–) जब्त कर लिया जाएगा।
13. कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र (Resignation) देने की अवधि में अर्थात 28–07–2025 से 31–07–2025 तक सायं 6:00 बजे तक सीट से त्यागपत्र (Resignation) नहीं देता है, तो काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) (रूपये 5000/–) और सीट पुष्टिकरण शुल्क (Seat Confirmation Fee) (रूपये 40,000/–) जब्त कर लिया जायेगा।
14. जिन अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के राउण्ड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वे मॉप अप राउण्ड काउन्सिलिंग के लिए बिना काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (5000/– रुपये) के अर्ह होंगे। यद्यपि अभ्यर्थी को 500/– रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

*****

मॉप अप राउंड

पात्रता

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग नहीं लिया है।
- वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं की गयी।
- **सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, वे भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा, इस्तीफे के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। इस स्थिति में आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क (Counselling Security Fee) रुपये 5000/– जब्त कर लिए जाएँगे।**

निम्नलिखित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे

- सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया है और जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

काउन्सिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी द्वारा आधिकारिक सीपीईटी 2025 वेबसाइट– www.abvmuup.edu.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन के माध्यम से काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थियों को www.abvmuup.edu.in पर जाकर अपनी सीपीईटी 2025 **रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
2. भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में रूपये 500/– जमा करने होंगे **(गैर वापसी/Non-Refundable) सिवाय उन लोगों के जिन्होंने राउंड 1 में पंजीकरण कराया है तथा उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई है।**

जिन अभ्यर्थियों ने काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग नहीं लिया है, उन्हें निम्नलिखित चरण पूर्ण करने होंगे:

3. रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा सीपीईटी 2025 में भरी गई प्राथमिक जानकारी यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उप–श्रेणी और पता आदि स्वचालित रूप से पहले से ही भरी रहेगी।
4. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा (10+2) बोर्ड परीक्षा में **Appearing** अंकित किया था, उन्हें **12वीं कक्षा (10+2) के अंक अपडेट करने होंगे।**
5. अभ्यर्थियों को अपना निम्न विवरण भी अपलोड करना होगा।
   a. हाई स्कूल प्रमाण पत्र (कक्षा 10वीं) और
   b. 12वीं कक्षा (10+2) की परीक्षा इंटरमीडिएट मार्कशीट/अंकों का विवरण।
6. अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य (हां/नहीं), अल्पसंख्यक स्थिति (ईसाई/जैन/मुस्लिम/लागू नहीं) विवरण अपडेट करना होगा और निम्न का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
   a. निवास स्थिति **(Domicile status)** (यदि लागू हो)
   b. अल्पसंख्यक दर्जा **(Minority status)** (यदि लागू हो)

c. श्रेणी/उप–श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

7. यदि अभ्यर्थी ने आवेदन फॉर्म भरते समय प्रारूप में **लिंग संबंधी जानकारी गलत भरी है** तो वह उसे भी अपडेट कर सकता है।

8. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (केटेगरी) अपडेट कर सकते हैं (वर्तमान श्रेणी को केवल अनारक्षित श्रेणी में एवं उप श्रेणी को केवल श्रेणी में)।

9. अभ्यर्थी को जमा करना होगा

   a. 500/– रुपये ऑनलाइन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क **(गैर वापसी/Non-Refundable)** और

   b. काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** के रूप में 5000/– रुपये

दोनों शुल्क 5500/– रुपये (500 रुपये + 5000 रुपये) के एकल भुगतान (Single Payment) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

काउन्सिलिंग के राउंड 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे:

10. जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में भाग लिया है, उन्हें 5000/– रुपये का काउन्सिलिंग सुरक्षा शुल्क **(Counselling Security Fee)** जमा करना आवश्यक है, **सिवाय**

- वे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।

कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया

1. ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वांछित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को संपादित (एडिट) और पुनः क्रमित (Re-order) कर सकता है। **उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीट आवंटन में असफलता से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरें।**

2. अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से कॉलेज विकल्पों को लॉक होने के बाद, लॉक किये गये कॉलेज विकल्पों का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।

3. अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन सीपीईटी 2025 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

4. सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 1 में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा:

   विकल्प 1: एक्सेप्ट एलॉटेड सीट

   विकल्प 2: डिक्लाइन एलॉटेड सीट

   > **महत्वपूर्ण नोट:**
   >
   > **शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउन्सिलिंग सिक्योरिटी शुल्क (Counselling Security Fee) (रू0 5000/–) जब्त कर लिया जाएगा।**

5. सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने **विकल्प 1** का चयन किया है, उन्हें **अनिवार्य** रूप से ऑनलाइन/चालान मोड के माध्यम से एबीवीएमयू यूपी को रू0 40,000/– (चालीस हजार रुपये मात्र) का **सीट पुष्टि शुल्क (Seat Confirmation Fee)** जमा करना होगा। यह राशि प्रवेश के बाद आवंटित कॉलेज को

हस्तांतरित कर दी जाएगी तथा काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी। (जिन उम्मीदवारों ने पहले ही राउंड 1 में 40,000 रुपये जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है).

6. सीट पुष्टि शुल्क **(Seat Confirmation Fee)** जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में **व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट** करना होगा।
7. अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय **मूल प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ** दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों की एक (01) स्व–सत्यापित फोटोकॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है।
8. कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं, तो **कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित कॉलेज पोर्टल से प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा।**

   नोटः मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र (01–08–2025) के प्रारम्भ होने के समय ही जमा किये जायेंगे।
9. निम्न **दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी** की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक हैः

   I. प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र।

   II. 5 पासपोर्ट आकार की सफेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो।

   III. 40,000 / – रुपये की सीट कन्फरमेशन शुल्क रसीद।

   IV. फोटो पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।

   V. आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट (verification sheet)।

   VI. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2) / समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / मार्कशीट / अंकों का विवरण।

   VII. जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाणपत्र। (कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)

   VIII. 12वीं कक्षा (10+2) माइग्रेशन / स्थानांतरण प्रमाणपत्र।

   IX. मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।

   X. यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य हैः

      a. केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार / एसडीएम) द्वारा जारी एससी / एसटी जाति प्रमाणपत्र।

      b. 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी / ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र। ओबीसी श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की ओबीसी–एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) की सूची में होना चाहिए।

      c. सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र।

      d. जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र।

      e. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) प्रमाणपत्र।

f. एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकृत बटालियन द्वारा निर्गत वैध एनसीसी **ग्रेड–बी** के साथ **'सी' प्रमाण–पत्र** मान्य होगा। **इस उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के लिए एनसीसी 'ए' एवं 'बी' प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।**

g. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (ईसाई/जैन/मुस्लिम)।

नोटः सीट आवंटन और मॉप अप राउंड में स्वीकृति के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो आवंटित सीट, काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क (5,000 रुपये) और सीट पुष्टिकरण शुल्क (40,000 रुपये) जब्त कर लिया जाएगा।

सीट स्थानान्तरण (The Seat Conversion)

सीटों का स्थानान्तरण सीट आवंटन के मॉपअप राउंड के बाद किया जाएगा। उक्त स्थानान्तरण केवल तभी किया जाएगा, जब उक्त स्थानान्तरण श्रेणी/उप–श्रेणी से संबंधित योग्य अभ्यर्थियों की संख्या समाप्त हो गई हो। श्रेणियों/उप–श्रेणियों के स्थानान्तरण के लिए एल्गोरिथम निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैः

क्र0सं0	स्थानान्तरण श्रेणी	श्रेणी परिवर्तित
1	एसटी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम एण्ड एनसीसी)	एसटी
2	एससी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम एण्ड एनसीसी)	एससी
3	यूआर (पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम एण्ड एनसीसी)	यूआर
4	ओबीसी (पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम एण्ड एनसीसी)	ओबीसी
5	ईडब्ल्यूएस (पीडब्ल्यूडी, एफएफ, ईएसएम एण्ड एनसीसी)	ईडब्ल्यूएस
6	एसटी	एससी
7	एससी	यूआर
8	ओबीसी	यूआर
9	ईडब्ल्यूएस	यूआर
10	अल्संख्यक	यूआर

*****